जल्दी सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172] नई दिल्ली, सोमवार, जून 26, 1972/आषाढ़ 5, 1894

No. 172] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 26, 1972/ASADHA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 26th June 1972

G.S.R. 325(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance)—Bharat Sarkar, Vitta Mantralaya (Rajaswa Aur Bima Bibhag) No. 78—Customs, dated the 1st June, 1972.

[No. 83/Customs/F. No. 503/9/72-Cus. VI.]

P. K. KAPOOR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 1972

अधिसूचना

सीमाशुल्क

स ० का० नि० 325 (अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 15 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 78 सीमा-शुल्क तारीख 1 जून, 1972 को एतद्द्वारा विखंडित करती है।

[सं० 88-सी०शु०/फा०सं० 503/9/72-सी०शु०]

पी० के० कपूर, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972